



अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है।

यह कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 की धारा 13(2) सहपठित नियम 8 एवं 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं को मॉर्ग पत्र जारी किया गया जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की माँग की गयी थी। यह की निम्नलिखित ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। अतः एतद्वारा ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य कर लिया है जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस प्रकार का लेन-देन न करें। यह सम्पत्ति उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्च देय हैं।

यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों को निविदा/बिद्ध/कोटेशन आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेन्डर बंद निविदा के माध्यम से नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंगलम टावर, गोरखपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र. सं.	ऋणी/बन्धककर्ता का नाम / शाखा / खाता सं.	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि/ नीलामी/कब्जा/मांग सूचना दिनांक/कब्जे का प्रकार	अंशित मूल्य/धरोहर राशि धनराशि (रुपये में)/ EMD दिनांक / Bid Open दिनांक
1	ऋणी- मेसर्स एस.ए. ट्रेडर्स , प्रोप. श्री शाकिर अली पुत्र श्री आबिद अली। गारंटीकर्ता: श्री शाहिद अली अंसारी पुत्र श्री आबिद अली और श्री विजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री सुंदर लाल विश्वकर्मा। बंधककर्ता: श्री शाहिद अली अंसारी पुत्र श्री आबिद अली। शाखा- मंगलम टावर खाता संख्या - 75011331079	सम्पत्ति के मालिक- श्री शाहिद अली अंसारी पुत्र श्री आबिद अली, सम्पत्ति स्थिति- अराजी संख्या 200, मकान संख्या 500ए, मौजू- जटपुर दक्षिण, तप्पा- कस्बा, परगना- हवेली, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)। सेल डीड क्रमांक 10300, दिनांक 20-11-2010, क्षेत्रफल 22.30 वर्ग मीटर/239.95 वर्ग फुट। चौहद्दी- उत्तर- 10 फुट चौड़ी सीसी रोड, दक्षिण- अब्दुल वहाब का मकान, पूर्व- लियाकत अली और लायक अली का मकान, पश्चिम- 5 फुट चौड़ी गली।	रु. 5,48,531.80 + ब्याज प्रभावी + अन्य व्यय नीलामी दिनांक 10.03.2026 मांग सूचना दिनांक 11.05.2016 कब्जा दिनांक 15.05.2017 कब्जे का प्रकार सांकेतिक	रु. 6,32,160/- रु. 63,216/- 10.03.2026 अपराह्न 11.00 बजे तक 10.03.2026 सायं 4.00 बजे
1	ऋणी- श्री रमेश सिंह पुत्र श्री राम प्रवेश सिंह और श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी श्री राम प्रवेश सिंह। गारंटीकर्ता: श्री अजय सिंह पुत्र श्री राम प्रवेश सिंह और श्री संजय सिंह पुत्र श्री राम प्रवेश सिंह। बंधककर्ता: श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी श्री राम प्रवेश सिंह शाखा- मंगलम टावर खाता संख्या - 75086436256	सम्पत्ति की मालिक- श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी श्री राम प्रवेश सिंह, सम्पत्ति स्थिति- अराजी संख्या 751 मी, मौजू- जंगल तुलसीराम, तप्पा- कस्बा, परगना- हवेली, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)। सेल डीड क्रमांक 2792, दिनांक 20-04-2009, क्षेत्रफल 20.91 वर्ग मीटर। चौहद्दी- उत्तर- 15 फीट चौड़ी सीसी रोड, दक्षिण- मालती जी की जमीन, पूर्व- डॉक्टर जी की दुकान, पश्चिम- चौधरी जी की दुकान	रु. 7,50,000/- + ब्याज प्रभावी + अन्य व्यय नीलामी दिनांक 10.03.2026 मांग सूचना दिनांक 06.11.2020 कब्जा दिनांक 23.02.2021 कब्जे का प्रकार सांकेतिक	रु. 5,98,205/- रु. 59,820.50 10.03.2026 अपराह्न 11.00 बजे तक 10.03.2026 सायं 4.00 बजे

नियम एवं शर्तें:- 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंगलम टावर शाखा, गोरखपुर के नाम देय हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करें। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि के सहित अलग दिने बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृतिपुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दश में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जब कर ली जायेगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से सम्बंधित किसी चार्ज, लियन, इन्काम्बरेस, टेन्स, सरकारी ड्यूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्ट्याम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती है तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह उनके बीच आपस में पुनः बंटिग करे लें। 8. निविदा/विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी/जमानतदार नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rule में 2002 (By the Security Interest/Enforcement/Amendment Rule में 2002 धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोदित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध हैं। 10. यह निविदाकर्ताओं को उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु सम्बन्धित त शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02:00 बजे से 05:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं के लिये विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिये सामान्य रूप से है। 12. कृपया उपरोक्त नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें।

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋणग्रहीता/जमानतदारों/बिधक उत्तराधिकारियों को 30 दिन की नोटिस दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।